चित्रकूट-पुलिस

(1). आगामी शारदीय नवरात्रि से महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित "मिशन शक्ति अभियान-5" के शुभारम्भ के अवसर पर जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के शुभारम्भ के अवसर पर आज दिनांक 20.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 20.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी तथा अफवाहों का ध्यान न देने की बात बतायी गयी एवं संदिग्ध व्यक्ति मिलने पर थाना स्थानीय पर सूचना देने हेतु भी बताया गया।

(3). शारदीय नवरात्रि से मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा “मिशन शक्ति – 5.0” विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया।

महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5” के शुभारम्भ के अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय,पुलिस लाइन एवं पुलिस कार्यालय सहित जनपद के समस्त थानों में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित 'मिशन शक्ति-5.0' के शुभारंभ का लाइव प्रसारण को देखा व सुना गया।

शारदीय नवरात्रि से महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5” के शुभारम्भ के अवसर पर आज दिनांक 20.09.2025 को जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी0एन0 एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय,अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में,पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार सहित जनपद के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थानों/चौकियों में मिशन शक्ति-5.0” का लाइव प्रसारण को देखा व सुना गया।

*इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है।

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1090 – वीमेन पावर लाइन, 181 – वीमेन हेल्पलाइन, 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, 102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस, 108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा, 1098 – चाइल्ड लाइन, 101 – अग्निशमन सेवा, 1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(4). शासन की मनसा अनुरूप जन समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी श्री उमेश चन्द्र निगम की उपस्थिति में तहसील सभागार राजापुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।

पुलिस अधीक्षक एवं अपर जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों से संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित स्थलीय निरीक्षण कर शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी महोदय ने यह भी कहा की जनसुनवाई में जमीन, नाला,चकरोड, तालाब, विद्युत,जल जीवन मिशन से सम्बन्धित जो समस्याएं आती है उसका निस्तारण गुणवत्ता पूर्ण कराए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जमीन संबंधित समस्या को पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर स्थलीय निरीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण कराया जाए।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल,प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला,थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी उपस्थित रहें।

(5). आज दिनाँक 20.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी कार्यालय राजापुर,थाना राजापुर एवं फायर स्टेशन राजापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फायर स्टेशन परिसर,क्षेत्राधिकारी कार्यालय,थाना परिसर,थाना कार्यालय,महिला हेल्पडेस्क,साइबर हेल्पडेस्क में रखे रजिस्टर,मिशन शक्ति रजिस्टर का निरीक्षण कर रजिस्टरों का अद्यावधिक कराने हेतु क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया तथा शारदीय नवरात्रि से महिला सुरक्षा,सम्मान एवं स्वावलम्बन के दृष्टिगत शासन द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत प्रतिदिन क्षेत्रों में भ्रमणशील होकर महिलाओं/बालिकाओं को 1.मिशन शक्ति फेज–05 का महत्व एवं दायित्व 2. 1090 पावरलाइन का व्यापक प्रचार एवं प्रसार 3.आगामी नवदुर्गा पूजन के पावन अवसर के दृष्टिगत महिलाओं की सुरक्षा का व्यापक ध्यान रखा जाए तथा महिला हेल्पलाइन के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। 4.महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बर यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स नंबरों के अलावा महिलाओं को साइबर क्राइम होने पर 1930 पर कॉल तथा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराना, फोन खो जाने पर CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बारे में प्रचार प्रसार हेतु निर्देशित किया गया। 5.सभी अधिकारी व कर्मचारीगण को अपने स्मार्ट फोन में C–Plan App, UPCOP App आदि download करने हेतु निर्देशित किया गया कि आवश्यकतानुसार इन Apps का जनहित में उपयोग व जागरुक भी करें।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल,थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय,प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू श्री रवि कुमार दिवाकर द्वारा आज दिनांक 20.09.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 505/2021 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अभियुक्त 1.सुरेश कुमार पुत्र रामकेशी निवासी ग्राम खलिहारी थाना रायपुर जिला सोनभद्र 2.शिवकुमार यादव पुत्र

रमाकान्त यादव निवासी ग्राम मानपुर थाना राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र 3.अजीमुल हक अंसारी पुत्र स्व0 फरियाद हुसैन निवासी पड़री थाना रायपुर जिला सोनभद्र 4.प्रदीप मिश्रा उर्फ मंगल पुत्र स्व0 सूरजबली मिश्रा निवासी पिण्डारन थाना मरका जिला बांदा को 20-20 वर्ष का कारावास और 2-2 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरण:-

दिनाँक 29.12.2021 को तत्कालीन उ0नि0 श्री राकेश कुमार मौर्य द्वारा आरोपी अभिमन्यु 1.सुरेश कुमार पुत्र रामकेशी निवासी ग्राम खलिहारी थाना रायपुर जिला सोनभद्र 2.शिवकुमार यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी ग्राम मानपुर थाना राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र 3.अजीमुल हक अंसारी पुत्र स्व0 फरियाद हुसैन निवासी पड़री थाना रायपुर जिला सोनभद्र 4.प्रदीप मिश्रा उर्फ मंगल पुत्र स्व0 सूरजबली मिश्रा निवासी पिण्डारन थाना मरका जिला बांदा को 56 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 30.12.2021 को कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 505/2021 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत कराया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय द्वारा की गयी थी। विवेचक द्वारा दिनाँक 25.01.2022 को आरोपियो के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(7). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन थानाध्यक्ष पहाड़ी श्रीमती अनुपमा तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सनद मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 20.09.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 169/2016 धारा 354,506 भा0द0वि0 व 3(ब)1,3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अभियुक्त रमाकान्त प्रजापति पुत्र मोहन निवासी खरसेड़ा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनाँक 20.06.2016 को एक वादिया द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी गयी थी कि अभियुक्त द्वारा बुरी नियत से पकड़ना तथा जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर पहाड़ी में मु0अ0सं0 169/2016 धारा 354,506 भा0द0वि0 व 3(ब)1,3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम उपरोक्त अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री बृजराज सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 03.09.2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनाँक 20.09.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 244/2014 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र राजकुमार निवासी कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(9). आज दिनाँक 20.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी श्री उमेश चन्द्र निगम की उपस्थिति में अश्विन मास/पितृ विसर्जनी अमावस्या मेला डियूटी में लगे पुलिस बल को ब्रीफ किया गया । ब्रीफिंग में पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि सभी कर्मचारीगण अपनी-अपनी डियूटी पर समय से पहुचेंगे, कोई भी अधिकारी/कर्मचारी डियूटी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करेगा । ड्यूटी के दौरान सभी श्रद्धालुओं से नम्रतापूर्वक व्यवहार करेगें।

पूरे मेल को सकुशल संपन्न करने के लिए 03 जोन व 10 सेक्टर में बांटा गया है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 04 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 19 थाना प्रभारी निरीक्षक/निरीक्षक, 80 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 205 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल,60 महिला कांस्टेबल, 03 उपनिरीक्षक यातायात,14 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल यातायात,02 एलआईयू उ0नि0, 12 हेड कान्सटेबल/कान्सटेबल एलआईयू, 01 डॉग स्क्वायड, की डियूटी लगाई गई है।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली,क्षेत्राधिकारी कार्यालय/लाइन श्री यामीन अहमद, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं मेला में लगे समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।